

दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन संख्या विधि अनुभाग मा.शि. /2201/2022-23 दिनांक 29.04.2022 के क्रम में विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के अन्तर्गत विधि प्रकोष्ठ में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने हेतु आवेदन पत्र :-

1. अभ्यर्थी का नाम -
2. पिता का नाम -
3. जन्मतिथि-
4. स्थायी निवास का पता-
5. शैक्षिक योग्यता (विधि स्नातक) वर्ष एवं विश्व विद्यालय का नाम-
6. अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक-
7. अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव- वर्ष माह.....न्यायालय का नाम.....
8. विभिन्न वादों के संदर्भ में प्रस्तावित फीस-

क्र०स०	वाद का प्रकार	आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तावित फीस
1.	रिट याचिका (writ petition मा. उच्च न्यायालय)	
2.	विशेष अपील (SPA मा. उच्च न्यायालय)	
3.	प्रतिशपथ पत्र मा. उच्च न्यायालय	
4.	पुनर्विचार/रिकॉल रिज्वाइण्डर स्थगन आदेश,कैवित, शपथ पत्र (मा. उच्च न्यायालय)	
5.	पूरक शपथपत्र (मा. उच्च न्यायालय)	
6.	रिस्पान्स एफिडेविट (अवमानना वाद में)	
7.	कम्पलाईस एफिडेविट (अवमानना वाद में)	
8.	प्रतिशपथ पत्र मा. लोक सेवा अधिकरण	
9.	विशेष अनुज्ञा याचिका (मा. सर्वोच्च न्यायालय)	
10.	प्रतिशपथ पत्र (मा. सर्वोच्च न्यायालय)	

अनुबंध पत्र

मैं.....एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी मा. न्यायालय द्वारा कभी भी मा. न्यायालय से प्रतिबन्धित (Debar) नहीं किया गया है, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभिन्न न्यायालयों में न्यूनतम 100 से अधिक वादों की पैरवी की गयी है, मेरी जानकारी के अनुसार उक्तवत् सूचनायें सही हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है एवं यदि कोई तथ्य या जानकारी असत्य पायी जाती है तो विभाग द्वारा मेरा अनुबन्ध समाप्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम-

स्थायी पता-

दूरभाष नम्बर-

संलग्नकों का विवरण :-

1. शैक्षिक प्रमाण पत्र
2. अनुभव प्रमाण पत्र
3. मा. न्यायालय में अधिवक्ता के रूप पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र
4. किसी सक्षम न्यायालय अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र

दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन संख्या विधि अनुभाग मा.शि. /2201/2022-23 दिनांक 29.04.2022 के क्रम में विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के अन्तर्गत विधि प्रकोष्ठ में कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने हेतु आवेदन पत्र :-

1. अभ्यर्थी का नाम -
2. पिता का नाम -
3. जन्मतिथि-
4. स्थायी निवास का पता-
5. शैक्षिक योग्यता (विधि स्नातक) वर्ष एवं विश्व विद्यालय का नाम-
6. अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक-
7. अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव- वर्ष.....माह.....एवं न्यायालय का नाम.....
8. विभिन्न वादों के संदर्भ में प्रस्तावित फीस-

क्र०स०	वाद का प्रकार	आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तावित फीस
1.	रिट याचिका (writ petition मा. उच्च न्यायालय)	
2.	विशेष अपील (SPA मा. उच्च न्यायालय)	
3.	प्रतिशपथ पत्र मा. उच्च न्यायालय	
4.	पुनर्विचार/रिकॉल रिज्वाइण्डर स्थगन आदेश,कैविट, शपथ पत्र (मा. उच्च न्यायालय)	
5.	पूरक शपथपत्र (मा. उच्च न्यायालय)	
6.	रिस्पान्स एफिडेविट (अवमानना वाद में)	
7.	कम्पलाईस एफिडेविट (अवमानना वाद में)	
8.	प्रतिशपथ पत्र मा. लोक सेवा अधिकरण	
9.	विशेष अनुज्ञा याचिका (मा. सर्वोच्च न्यायालय)	
10.	प्रतिशपथ पत्र (मा. सर्वोच्च न्यायालय)	

अनुबंध पत्र

मैं.....एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी मा. न्यायालय द्वारा कभी भी मा. न्यायालय से प्रतिबन्धित (Debar) नहीं किया गया है, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभिन्न न्यायालयों में न्यूनतम 40 से अधिक वादों की पैरवी की गयी है, मेरी जानकारी के अनुसार उक्तवत् सूचनायें सही हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है एवं यदि कोई तथ्य या जानकारी असत्य पायी जाती है तो विभाग द्वारा मेरा अनुबन्ध समाप्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम-

स्थायी पता-

दूरभाष नम्बर-

संलग्नकों का विवरण :-

1. शैक्षिक प्रमाण पत्र
2. अनुभव प्रमाण पत्र
3. मा. न्यायालय अधिवक्ता के रूप पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र
4. किसी सक्षम न्यायालय अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र